न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 189/2013

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. प्रकाश पुत्र बुधमल		1. शंकर पुत्र मंगला खाती
2. श्रवणकुमार पुत्र बुधमल		निवासी–निम्बोल, तह.–जैतारण
3. सतीश पुत्र बुधमल		हाल–बोहरा कॉलोनी दक्षिण
4. बेबीदेवी पुत्री बुधमल		नेहरूनगर, ब्यावर, जिला–अजमेर
5. संतोषदेवी पुत्री बुधमल		2. मैसर्स ब्रीज एण्ड बिल्डिंग
6. पार्वती पुत्री बुधमल		कन्ट्रेक्शन प्रा.लि. कार्यालय 90
7. यशोदा पुत्री बुधमल		बीएसपी मुखर्जी रोड़, कलकता
8. भंवरीदेवी पत्नि बुधमल		जरिये लक्षमण भाई मोहनभाई
जातियान–खाती (सुथार),		सोजीतरा
निवासी–निम्बोल,		3. तहसीलदार, जैतारण
तहसील–जैतारण, जिला–पाली		तहसील–जैतारण, जिला–पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(डी) एवं 151 सीपीसी

तारीख रजू:.27/06/2017

उपस्थितः. 1. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, वादीगण।

2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 16/01/2018

वकील मय प्रतिवादी संख्या 01 ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(डी) एवं 151 सीपीसी के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–निम्बोल, पटवार हल्का–निम्बोल, तहसील–जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 433, 436 कुल किता–2 कुल रकबा 12–11 बीघा की आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2–1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं, जो जमाबन्दी से साबित हैं। वादीगण ने उक्त कृषि भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए का पेश किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि को जरिये इकरारनामा के दिनांक 21/07/1994 को रूपये 26 हजार में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया का वाद पेश किया व 1/2 हिस्से में अपना नाम दर्ज करवाने की घोषणा चाही जबकि उक्त कृषि भूमि का मूल्य 100 रूपये से अधिक होने से ऐसा इकरारनामा पंजीकृत होना आवश्यक हैं। अपंजीकृत इकरारनामा / बेचाननामा के आधार पर वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्ध कोई बिनाय वाद पैदा नहीं होता हैं। वादीगण को ऐसे अनुतोष बाबत् दीवानी न्यायालय में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत् विनिर्दिष्ट अनुतोष बाबत् पालना के तहत् वाद प्रस्तुत करना चाहिये थी। इकरारनामा के आधार पर जिसमें कृषि भूमि की मालिकत 26 हजार बताई हैं के वाद को राजस्व न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकार नहीं हैं। अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् खातेदारी अधिकार राजस्व न्यायालय से प्राप्त नहीं होते हैं। वादीगण अपने हक व अधिकार सिविल न्यायालय से तय करवा सकते हैं। इस कारण ासे वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित हैं।

वकील वादी जबाब दरख्वास्त प्रस्तुत नहीं कर बहस दरख्वास्त हेतु तैयार होने से जबाब दर0 बन्द किया गया। बहस दर0 वकुलाय सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने वाद के समर्थन में

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

इकरारनामा पेश किया गया। राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रतिवादी संख्या 02 खातेदार काश्तकार हैं। जमाबन्दी के अनुसार वादी 1/2 एवं प्रतिवादी 1/2 हिस्से का काश्तकार हैं। विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की कृषि भूमि जरिए इकरारनामा दिनांक 20/07/94 को 26 हजार में खरीद की गई हैं। इकरारनामा पंजीकृत नहीं होने से वादी अनुतोष पाने का अधिकृत नहीं हैं। ऐसे इकरारनामा के आधार पर जिसकी मालियत 100/- रू0 से अधिक होने से वादी का वाद पोषणीय नहीं हैं। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 नियम 11(डी) सीपीसी का स्वीकार किया जाता हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 16/01/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner